कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/1085/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 5/06/2020

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के आदेश क्रमांक/861/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 04/05/2020 के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बढ़ने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण कोण्डागांव जिले में गुटका, तंबाकू, गुड़ाखू के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया था।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/74/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 30/05/2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/76/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 01/06/2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखते हुए समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक संचालन हेतु अनुमति दी गई थी।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 के अनुक्रम में कोण्डागांव जिला अंतर्गत तंबाकू/पान/सिगरेट व बीड़ी/गुड़ाखु/गुटका के दुकानों को एवं संबंधित थोक दुकानों को **प्रातः 07.00 बजे सायं 07.00 बजे** तक सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देशों के पालन करते हुए (मास्क पहनने के निर्देश) में संचालन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :–

- दुकान में सेनेटाईजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- पान ठेले/दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ जैसे – सिगरेट, गुड़ाखू, गुटका, तम्बाकू, पाउच एवं बीड़ी आदि का उपयोग/उपभोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेले में किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय किया जावेगा।
- दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर **अर्थदण्ड अधिकतम 100 रूपये।**

- नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सूचना/जानकारी संबंधी भी पोस्टर/पाम्प्लेट/फ्लैक्स् का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला संचालक जिम्मेदार होगा।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु शासन एवं इस कार्यालय से पूर्व में जारी **प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्तें यथावत रहेंगी।**

लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा–निर्देशों/**आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।**

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/1085A/रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 4/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर।
4. आयुक्त, संभाग बस्तर (जगदलपुर)।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव।

9. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को गहन प्रकाशन हेतु।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोण्डागांव/फरसगांव/केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोण्डागांव/फरसगांव/केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी कोण्डागांव/फरसगांव/माकड़ी/केशकाल/बड़ेराजपुर को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोण्डागांव/फरसगांव/माकड़ी/केशकाल/बड़ेराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव/नगर पंचायत केशकाल/फरसगांव को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
15. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)